न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 161/17 (वाद)
GCMS No. : 2017/00569

1. श्री मोहनलाल पिता भगवान जी जाट, आयु 50 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री माधवलाल पिता भगवान जी जाट, आयु 45 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्री हमेरा पिता गणेश जी जाट, आयु 80 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर। मृतक के बजाय :—
   3/1 मोहनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/2 श्री बंशीलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/3 श्री रतनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/4 श्री वरदीचन्द पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/5 मांगीबाई पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर हाल निवासी उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजमसन्द।
   3/6 मु. कंकुबाई पत्नी हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
2. श्री कजोड पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
3. श्री श्यामलाल पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
4. मु. केसर बाई बेवा कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
5. श्री गोकल पिता मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
6. श्री प्रेम प्रकाश पिता मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
7. श्रीमती कमला बाई (पिता मोतीजी) पत्नी माधवलाल जी जाट, निवासी नाहरगमरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
8. श्रीमती रेखा बाई (पिता मोतीजी) पत्नी पवन जी जाट, निवासी नाहरगमरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

9. श्रीमती जीव बाई बेवा मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
10. श्री छोगालाल पिता काना जी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर
11. श्री हीरालाल पिता काना जी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर
12. श्रीमती बदामी बाई (पिता कानाजी) पत्नी भेरूलाल जी जाट, निवासी नाहरमगरा तहसील मावली, जिला उदयपुर
13. श्रीमती तुलसी बाई (पिता कानाजी) पत्नी गोकल जी जाट, निवासी खेडा भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर
14. श्रीमती वरदी बाई (पिता कानाजी) पत्नी लक्ष्मणजी जाट, निवासी खेडा भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर
15. श्रीमती उदी बाई बेवा कानाजी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर
16. श्री नारायण पिता रूपा जी जाट, निवासी मावली, हाल सिन्धीयों की वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

16/1 मु. गटुबाई पत्नी नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/2 श्री भागचन्द पिता नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/3 श्री लक्ष्मण पिता नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/4 श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता नारायण पत्नी नारायण जाट निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।

17. श्री मांगीलाल पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
18. श्री परसराम पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
19. श्री चुन्नीलाल पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली।
20. श्रीमती मगनी बाई (पिता खेमा जी) पत्नी रामलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

20/1 श्री शंकरलाल पिता रामलाल जाट निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा।

20/2 श्रीमती मोहनीबाई पिता रामलाल पत्नी शंकरलाल जाट निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

20/3 श्रीमती देऊबाई पिता रामलाल पत्नी गोवर्धनलाल जाट निवासी जीवा का खेडा तहसील रेलमगरा।

20/4 श्री रामलाल पिता किशना जाट निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा।

21. श्रीमती हंसु बाई (पिता खेमा जी) पत्नी जमनालाल जी जाट, निवासी सालेराखुर्द, तह. मावली
22. श्रीमती लक्ष्मी बाई (पिता खेमा जी) पत्नी केसुलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
23. श्री नाथु पिता चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
24. श्री भमरू पिता चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
25. मु. धापू बाई बेवा चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
26. श्री मीठालाल पिता वरदीचन्द जी महाजन, गणोलिया निवासी मावली, तहसील मावली
27. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्यामलाल जी गुर्जर, निवासी मावली, तहसील मावली
28. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी नारायणजी गुरू निवासी मावली, तहसील मावली
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
30. श्री विजय कुमार पिता चत्तरलाल बडाला निवासी 75 अरिहन्त नगर कालका माता मार्ग पहाडा, उदयपुर।
31. श्री रणजीत कुमार पिता चत्तरलाल बडाला निवासी 76 अरिहन्त नगर कालका माता मार्ग पहाडा, उदयपुर।
32. श्री पुष्करलाल पिता वेणीराम कुमावत निवासी शिव कॉलोनी रेबारियो का गुडा उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री हिरालाल डांगी, प्रतिवादी संख्या 1से6, 9से11, 15, 17से19, 30, 31
3. श्री ओमप्रकाश प्रकाश डागलिया, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 23, 24, 25
4. श्री भेरूलाल खटीक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 28
5. श्री सोहन सिंह राणावत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 27

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 21.03.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 2159, 2161, 2162 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 2472 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1538, 1579 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा, परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1585 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 1527, 1530, 1533, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 2157, 2158 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 1526 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, परिशिष्ट ज में वर्णित आराजी नम्बर 2140, 2141 किता 2 कुल रकबा 8 बिस्वा उक्त परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ड, च, छ व ज में अंकित आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 654/2, 675/2, 677/2679/2, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 716/2, 717/2, 1113, 1596/1, 1605, 1626, 1636 हैं।
2. कि इसी तरह मौजा गाडरियावास पटवार हल्का मावली तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 889, 1001 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1058, 1059 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा उक्त परिशिष्ट अ व ब में अंकित आरजीयात के साबिक आराजी नम्बर 134/2, 478/2, 570 व 571 हैं।
3. यह कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 से 25 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है–

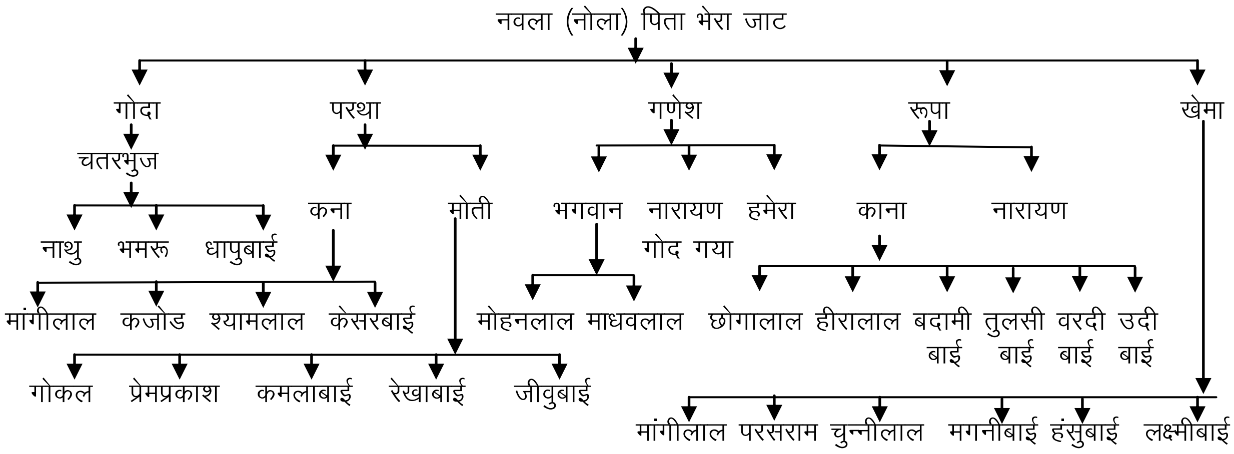

उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष नवला पिता भेरा जी जाट थे जिनके पांच पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा व खेमा हुए। गोदा के चतरभुज, परथा के दो पुत्र कना, मोती तथा गणेश के तीन पुत्र भगवान, नारायण, हमेरा हुए जिनमें से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

नारायण गोद चला गया, रूपा के दो पुत्र काना व नारायण हुए एवं खेमा के तीन पुत्र मांगीलाल, परसराम, चुन्नीलाल एवं तीन पुत्रियां मगनी बाई, हंसु बाई व लक्ष्मी बाई हैं। चतरभुज की पत्नी धापू बाई व दो पुत्र नाथु व भमरू हैं। कना की पत्नी केसर बाई और तीन पुत्र मांगीलाल, कजोड और श्यामलाल एवं मोती की पत्नी जीवु बाई और दो पुत्र गोकल, प्रेमप्रकाश, दो पुत्रियां कमला बाई व रेखा बाई है। काना की पत्नी उदी बाई व दो पुत्र छोगालाल एवं हीरालाल तथा तीन पुत्रियां बदामी बाई, तुलसी बाई व वरदी बाई है। खेमा के तीन पुत्र मांगीलाल, परसराम, चुन्नीलाल तथा तीन पुत्रियां मगनी बाई, हंसु बाई व लक्ष्मीबाई है। उक्त सजरे में बताये गये नवला, गोदा, परथा, गणेश रूपा खेमा, चतरभुज, कना, मोती व काना का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त सजरे में वर्णित गणेश के वारिस वादीगण हैं तथा परथा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 से 9 है। रूपा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 10 से 16 है। खेमा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 17 से 22 व गोदा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 23, 24 व 25 हैं। नवला उर्फ नोला की मृत्यु बाद उक्त आराजीयात नवला उर्फ नोला के पांचों पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा, खेमा में बराबर हक व हिस्से से निहित हुई है व नवला की मृत्यु के बाद नवला के पांचों पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा, खेमा बराबर हिस्से से काबिज चले आये हैं, लेकिन विरासत से जो नामान्तरकरण गोदा, परथा, खेमा, रूपा द्वारा खुलवाया गया है उसमें गणेश का नाम अंकित नहीं कराया है, लेकिन गणेश का भी उक्त आराजीयात में बराबर हक व हिस्सा होकर कब्जा चला आ रहा है। गणेश की मृत्यु के बाद गणेश के हिस्से पर गणेश के पुत्र भगवान व हमेरा काबिज चले आए हैं तथा भगवान की मृत्यु के बाद भगवान के पुत्र वादी मोहनलाल, माधवलाल तथा हमेरा काबिज चले आ रहे हैं। इस समय भी वादीगण का कब्जा होकर काश्त कर रहे हैं। नवला की उक्त आराजीयात में नवला के पांचों पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा, खेमा का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार काबिज चले आए हैं तथा वादीगण का इस समय भी 1/5 हिस्से पर कब्जा है अर्थात् वादी नंबर 1, 2 का 1/10 हिस्से पर व वादी नम्बर 3 का 1/10 हिस्से पर कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन गणेश के नाम उक्त आराजीयात का हिस्सा दर्ज नहीं होने से गणेश के वारिसान वादीगण के नाम पर भी उक्त हिस्सा दर्ज नहीं हुआ है। आराजी नम्बर 1533 पर वादी मोहनलाल ने 12–13 वर्ष पहले मकान बना रखा है जिसमें अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा आराजी नम्बर 1526 पर वादी माधवलाल का मकान बना हुआ है जिसमें वादी माधवलाल निवास कर रहा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्य आराजीयात पर हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अभी तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा नहीं हुआ है तथा बिना बटवाडा के प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात को व उसके किसी भी हिस्से को विक्रय हस्तान्तरण करने व निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है।

4. निवेदन किया कि जमीन की कीमतें बढ़ जाने से प्रतिवादी नम्बर 1 से 25 की नियत में खोट आ गई तथा वादीगण को धमकी दे रहे हैं कि उक्त आराजी हमारे नाम दर्ज है अतः हम वादीगण को उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे व वादीगण का कब्जा हटा देंगे जिस पर वादीगण ने कहा कि हमारे बाप–दादाओं के समय से उक्त आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है व हमारा हिस्सा है, अतः हमारे हिस्से की भूमि हमारे नाम दर्ज करा देवें, फिर भी नहीं मान रहे हैं व लडाई झगडा करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी नम्बर 23, 24 व 25 ने उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी नम्बर 26, 27 व 28 को कुछ आराजीयात विक्रय कर देना बता रहे हैं जबकि प्रतिवादी नम्बर 23, 24 व 25 का उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा ही है व 1/5 हिस्से से ज्यादा विक्रय करने का अधिकार नहीं। कथित विक्रय–पत्र वादीगण के विरुद्ध बेअसर व शून्य है तथा विक्रय–पत्र के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 26, 27 व 28 भी धमकी दे रहे हैं कि हमने जमीन खरीदी है अतः हम कब्जा करेंगे व वादीगण के मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। प्रतिवादी नम्बर 26, 27 व 28 स्टेन्जर परचेजर है उन्हें बिना बटवाडा कब्जा करने का अधिकार नहीं है। कथित विक्रय–पत्र के जरिये प्रतिवादी नम्बर 23, 24 व 25 ने प्रतिवादी नम्बर 26, 27 व 28 को उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं दिया है। विक्रय पत्र में कब्जा सिपुर्द करने का तथ्य गलत अंकित किए है। ऐसी अवस्था में वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करा पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है वरना प्रतिवादीगण हम वादीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

5. वाद कारण तारीख 25–05–2017 को जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि जमीन प्रतिवादी 1 से 25 के खाते में दर्ज है अतः वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे व बेदखल कर देंगे तथा तारीख 15–[illegible]5–2[illegible]7 को जबकि प्रतिवादी नम्बर 26, 27 व 28 में जमीन खरीदना बताकर जबरन क[illegible] करने की धमकी दी, पैदा हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

6. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद के परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ड., च, छ, ज में अंकित आराजीयात व वाद के परिशिष्ट अ, ब में अंकित आराजीयात के 1/10 हिस्से का वादीगण नम्बर 1 व 2 को तथा 1/10 हिस्से का वादी नम्बर 3 को खातेदार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे। कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे वादीगण को उक्त आराजीयात का हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करने से नहीं रोके व हिस्से अनुसार काश्त करते देवे, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि यानि वादीगण के हस्से की भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें, मौके व रेकार्ड की यथावतस्थिति बनाये रखे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 23 से 25 द्वारा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा जो सजरा पेश किया है वह गलत पेश किया है बल्कि सही सजरा खानदान इस प्रकार है :–

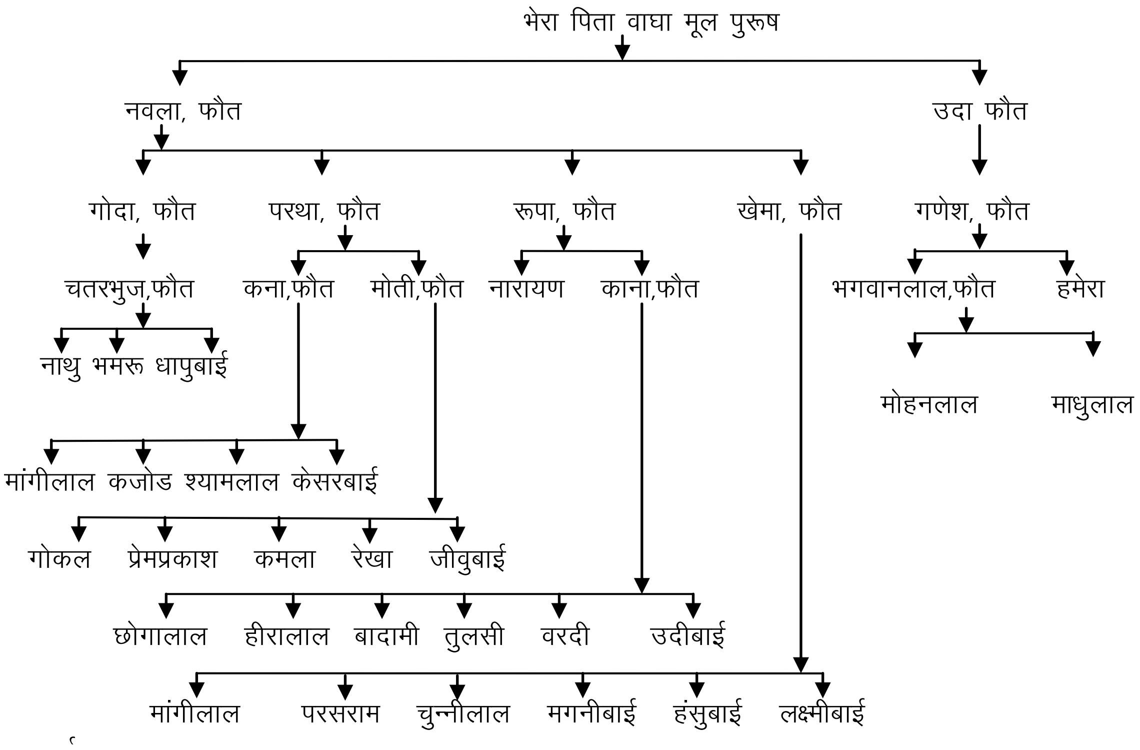

उक्त सजरा जो प्रतिवादी संख्या 23 से 25 द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार मूल पुरूष भेरा पिता वाघा जी जाट थे, जिनके [illegible] पुत्र नवला (नौला) पिता भेरा जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

व दुसरा पुत्र उदा पिता भेरा जी जाट हुऐ है, उदा के पुत्र गणेश जाट जो फौत हो चुका व गणेश के दो पुत्र भगवानलाल व हमेरा जी जाट हुऐ जिनमें से एक पुत्र भगवानलाल भी फौत हो चुका है जिसके दो पुत्र मोहनलाल व माधुलाल जाट हुऐ, नवला (नौला) पिता भेरा जी जाट के चार पुत्र गोदा, परथा, रूपा व खेमा जाट हुऐ व गोदा जी के चतरभुज हुऐ, चतरभुज की पत्नी धापुबाई व दो पुत्र नाथु व भमरू हुऐ जो उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 23 से 25 से सम्बोधित हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा जो नौला जी का सजरा दिया व सरासर गलत है बल्कि सही सजरे के अनुसार भेरा जी जाट के दो पुत्र नवला (नौला) व उदा जी जाट हुऐ और नौला जी के चार पुत्र हुऐ जिसका नामान्तरकरण संख्या 338 नौला पिता भेरा जी जाट के नाम से खोला गया जिसमें नवला (नौला) के चार पुत्र परथा, रूपा, खेमा व गोदा के नाम से सम्वत् 2020 में स्वीकृत हुआ, उसी में वादीगण जो गणेश को नवला (नौला) का पुत्र बता कर उक्त वाद प्रस्तुत किया जो सरासर गलत होकर नामान्तरकरण संख्या 338 के अनुसार गणेश पिता उदा जी जाट दर्ज है जिससे साफ जाहिर होता है कि गणेश नौला जी का पुत्र नहीं होकर उदा जी का पुत्र है वह वादीगण जो गणेश को पुत्र बता कर नवला (नौला) जी की जमीन में 1/5 वां हिस्सा हक को लेकर उक्त वाद प्रस्तुत है जो मनगढन्त एवं झुठे तथ्यों पर आधारित होकर खारिज होने योग्य हैं। वादीगण द्वारा गलत तथ्यों पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है नवला जी के चार पुत्र परथा, गोदा, रूपा व खेमा जो नामान्तरण दर्ज किया गया है वह सही दर्ज किया गया है वादीगण द्वारा अपने पिता जी की गणेश का नाम उक्त नामानतरकरण में नही लिखना बताया जबकि जो नामान्तरकरण संख्या 338 नौला जी का खोला गया उसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि नौला जी के चार पुत्र गोदा, परथा, रूपा व खेमा है तथा गणेश उदा जी का पुत्र होकर उदा जी के हक व हिस्से में गणेश का नामान्तरकरण दर्ज किया, इससे स्पष्ट है कि गणेश नवला (नौला जी) का पुत्र नहीं होकर उदा जी का पुत्र है, नौला जी के वारिस चार पुत्र गोदा, परथा, रूपा व खेमा जी जाट का कब्जा था इसके बाद चतरभुज पिता गोदा जी जाट के हिस्से पर हम प्रतिवादी संख्या 23 से 25 का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। गणेश का उक्त वर्णित जमीन पर कही पर भी कोई कब्जा नहीं है, न ही वर्तमान में हैं। कब्जे की बात वादीगण द्वारा सरासर एवं मनगढन्त अंकित की गई है इसलिए वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया वह खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

8. निवेदन किया कि वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर न ही कब्जा रहा है न ही उनका वर्तमान में कोई कब्जा है न ही वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए वादीगण बंटवाडे कराने के कोई हक व अधिकार नहीं रखते हैं। वादीगण का उक्त वर्णित जमीन पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि वर्तमान में जमीनों की कीमते अधिक हो जाने से वादीगण के मन में लोभ लालच बढने एवं भू–माफियो के सिखावे में आकर हमारे खिलाफ बाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है बल्कि खारिज होने योग्य है। उक्त जमीन पर कब्जा हम प्रतिवादी संख्या 23, 24 व 25 के खाते में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है समय–समय पर हकाई व बुआई कर फसल प्राप्त कर रहे है व हम प्रतिवादी संख्या–23, 24 व 25 उक्त वर्णित जमीन में अपने हक व हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर समय–समय हकाई व बुआई कर फसल प्राप्त कर रहे है इसलिये सुविधा संतुलन भी हम प्रतिवादी सख्या–23, 24 व 25 के पक्ष में है, वादीगण का न तो उक्त जमीन पर कब्जा है न ही वादीगण पूर्व में व आज दिनांक तक कभी उक्त वर्णित जमीन के खातेदार काश्तकार नही रहे है इसलिये वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रखते है, क्षति–पूर्ति का बिन्दु भी हम प्रतिवादी संख्या 23, 24 व 25 के पक्ष में है। वाद कारण हम प्रतिवादी संख्या 23, 24 व 25 के खिलाफ नहीं बनता है वादीगण का न तो उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा है न ही उक्त वर्णित जमीन के खातेदार काश्तकार है, बल्कि हम प्रतिवादी संख्या 23, 24 व 25 अपने पूर्वजो के समय से ही खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त में है वादीगण का इस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार व आधिपत्य नही है।

9. **विशेष–कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें निवेदन है कि हम प्रतिवादीगण के मूल पुरुष भेरा पिता वाघा जी जाट के दो पुत्र हुऐ जो नवला (नौला) व उदा जी हुऐ व उदा जी के वादीगण के वारिस गणेश हुऐ व नौला पिता भेरा जी जाट के चार पुत्र हुऐ इस प्रकार वादीगण द्वारा जो नवला (नौला) जी का सजरा दिया है व गलत दिया गया है। इसी तरह नामान्तकरण संख्या 338 गणेश जो उदा जी जाट पुत्र होना दर्शाया गया है जिसका नामान्तकरण भी खोला गया अर्थात गणेश नौला जी का पुत्र होकर गणेश पिता उदा जी जाट के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसके वारिस भगवानलाल व हमेरा पिता गणेश जाट दर्ज है। इस प्रकार वादीगण द्वारा जो वाद नवला (नौला) के पांचवा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

होने से 1/5 वा हिस्से को लेकर आया है वह सरासर गलत है। वादीगण द्वारा उक्त वाद गणेश नवला (नौला) जी का पांचवा पुत्र बता कर अपने हक व हिस्से हेतु वाद प्रस्तुत किया जो सरासर गलत होकर गणेश उदा जी जाट का पुत्र होकर उदा जी जाट की जमीन पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। इस प्रकार वादीगण अपने मौरूस उदा जी जाट की जमीन में हक व हिस्सा रखते हुऐ हम प्रतिवादीगण के मौरूस नवला (नौला) जी की जमीन में नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया जो मनगढन्त एवं झूठे तथ्यो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें । अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 23, 24 व 25 का जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड पर लिया जावें व जवाबदावे के आधार पर वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 9 से 11, 15, 16/1, 16/2, 16/4, 17 से 19 की और से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा गलत सजरा पेश किया है बल्कि सही तथ्य यह है कि नवला (नोला) पिता भेरा जी जाट के चार पुत्र हुये क्रमशः गोदा, प्रथा, रूपा व खेमा हुये।

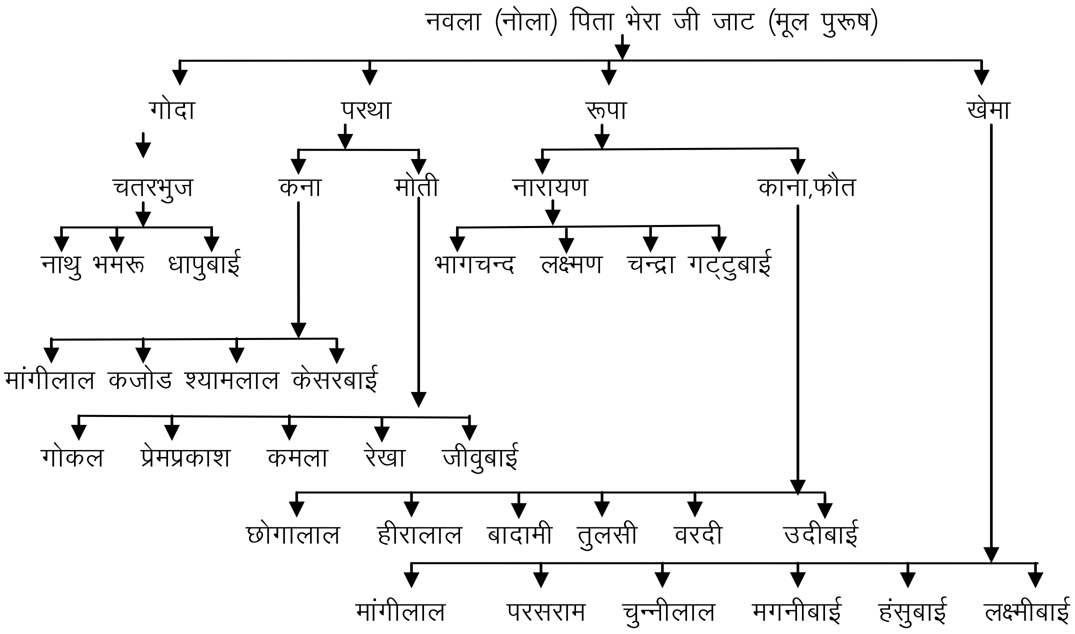

उक्त सजरे अनुसार मुल पुरूष नवला (नोला) पिता भेरा जी जाट जिनके चार पुत्र गोदा, प्रथा, रूपा व खेमा हुये। गोदा ... चतरभुज हुये। प्रथा जी के दो पुत्र कन्ना व मोती हुये। रूपा के दो पुत्र काना व नारायण हुये। खेमा जी के तीन पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

मांगीलाल, परसराम व चुन्नीलाल एवं तीन पुत्रीया मगनीबाई, हंसुबाई व तुलसीबाई हुई। चतरभुज की पत्नी धापुबाई व दो पुत्र नाथुलाल व भमरू हुये। कन्ना जी की पत्नी केसरबाई व तीन पुत्र मांगीलाल, कजोड व श्यामलाल हुये। मोती की पत्नी जीवुबाई व दो पुत्र गोकुल व प्रेम एवं दो पुत्रीया कमलाबाई व रेखाबाई हुई। काना की पत्नी उदी व दो पुत्र छोगालाल व हीरालाल एवं तीन पुत्रीया बदामीबाई, तुलसीबाई व वरदीबाई हुई। इस प्रकार वादी द्वारा जो नवला (नोला जी) का सजरा खानदान पेश किया है वह सरासर गलत है। नवला (नोला जी) के कभी पांच पुत्र नहीं हुये है। वादी नोला जी का पांचवा पुत्र गणेश को बताकर 1/5 का दावा किया है जो सरासर गलत हैं। नोला जी की मृत्यु के बाद उनका विरासत से सम्वत् 2020 में नामान्तरकरण संख्या 338 खोला गया उसमें भी पटवारी हल्का द्वारा चार पुत्र प्रथा, रूपा, खेमा व गोदा के नाम से ही खोला जाकर स्वीकृत हुआ है और इसी नामान्तरकरण में गणेश पिता उदा जी जाट नाम से नामान्तरकरण खोला गया जिससे भी यह जाहिर होता है कि जो वादी मौरूस गणेश का नवला जी का पुत्र बताकर 1/5 हिस्से का जो यह दावा पेश किया है वह गणेश उदा का वारिस है और इसी नामान्तरकरण संख्या 338 से विरासत से गणेश पिता उदा का नामान्तरकरण उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों पर गई। इस प्रकार वादी द्वारा यह वाद नोला जी के पांचवे पुत्र की हैसियत से जो दावा पेश किया है वह मनगढन्त, झुठा होकर असत्य होने से काबिल खारिज होने योग्य हैं।

11. यह कि वादी द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है क्योंकि वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा बताकर पेश किया है जबकि हम प्रतिवादीगण का हमारे मौरूस नवला के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं निरन्तर निर्बाध रूप से हम प्रतिवादीगण हमारे मौरूस के समय से ही खेती बाडी करते आ रहे है। वादीगण के मौरूस गणेश का उक्त जमीन पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं था एव ना ही वादीगण का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कब्जा है जो कब्जे की बात लिखी है जो सरासर गलत एवं मनगढन्त होने के कारण वाद खारिज होने योग्य हैं। वादीगण का उक्त आराजीयात में कभी कोई कब्जा रहा है और ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है तथा न ही हक अधिकार बनता है। इस प्रकार बंटवाडा करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। इस प्रकार वाद काबिल खारिज होने योग्य हैं। वादीगण का उक्त जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि वर्तमान में जमीनों की कीमते बढ जाने से वादी ... मन में लोभ लालच बढने से एवं भू–माफियाओं के सिखावें में आकर ये उक्त ... प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

होने से खारिज होने योग्य हैं। उक्त जमीन पर कब्जा हम प्रतिवादीगण का होकर आज भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है तथा समय–समय पर हकाई व बुआई कर फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सुविधा संतुलन भी हम प्रतिवादीगण के पक्ष में हैं। वादीगण उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन लडाई–झगडा करने पर आमदा रहा हैं। इसलिए क्षतिपूर्ति का बिन्दू भी हम प्रतिवादीगण के पक्ष में हैं। कोई वाद कारण हम प्रतिवादीगण के खिलाफ नहीं बनता है ना ही हमने किसी भी प्रकार की धमकी दी है बल्कि उक्त जमीन पर हम प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त वाद जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया है उसमें निवेदन है कि हम वादीगण के मूल पुरूष नवला (नोला) पिता भेरा जी जाट थे जिनके चार पुत्र गोदा, परथा, रूपा व खेमा हुये, इस प्रकार वादीगण द्वारा जो नवला (नोला) जी का सजरा दिया व सरासर गलत है बल्कि सही सजरे अनुसार नवला (नोला) जी के चार ही पुत्र गोदा, परथा, रूपा व खेमा हुये, जिनका नामान्तरकरण संख्या 338 नोला पिता भेरा जी जाट का खोला गया जिसमें भी नोला जी के चार पुत्र परथा, रूपा, खेमा व गोदा के नाम से ही सम्वत् 2020 में स्वीकृत हुआ उसी में वादीगण द्वारा जो गणेश को नवला (नोला) जी के पांचवा पुत्र बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो सरासर गलत होकर नामान्तरकरण संख्या 338 अनुसार गणेश जो उदा जी जाट का पुत्र होना दर्शाया गया है जिसका भी नामान्तरकरण खोला गया अर्थात् गणेश उदा जी का पुत्र होकर गणेश पिता उदा जी जाट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसके वारिस हमेरा पिता गणेश जी जाट दर्ज है, इस प्रकार वादीगण्ण द्वारा जो वाद नवला (नोला) जी के पांचवा पुत्र होने से 1/5 हिस्से का लेकर आये है वह सरासर गलत हैं। उक्त वर्णित जमीन पर करीब 100 वर्षों से हम प्रतिवादीगण के मौरूस नवला (नोला) जी का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है और नवला (नोला) जी के बाद उनके चार पुत्र गोदा, परथा, रूपा एवं खेमा का चला आ रहा है व इनके बाद इनके वारिसों का अर्थात् हम प्रतिवादीगण का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है, वादीगण का उक्त वर्णित जमीन पर कोई कब्जा हक व अधिकार नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि वाद सव्यय खारिज फरमावें।

12. प्रकरण में प्रतिवादी विजय कुमार व रणजीत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर आबादी में सम्परिवर्तित होकर नगरपालिका मावली द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त जायदाद के आवासीय पट्टे जारी कर दिये है तथा मौके पर नगर पालिका एवं राज्य सरकार के नियमानुसार भूखण्ड काट कर सडके बना दी है विद्युत पोल खडे कर नालिया बना दी है तथा वर्तमान में वादग्रस्त जायदाद में कृषि में कोई उपयोग उपभोग नहीं हो रहा है तथा नगर पालिका मावली ने आवासीय पट्टे भी जारी कर दिये है, जिनका भी पंजीयन उप पंजीयक मावली द्वारा हो चुका है, जिनको निरस्त करने का अधिकार आप न्यायालय को नहीं है तथा इसी वजह से वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि नहीं होने से उक्त वाद को सुनने का एवं इसके निस्तारण का अधिकार कानूनन आप न्यायालय को नहीं हैं। वादी द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी ने अपने आपको नवला उर्फ नोला का विधिक वारिस बताया है जबकि वास्तव में वादी नवला उर्फ नोला का विधिक वारिस नहीं होकर उदा पिता भेरा का विधिक वारिस है, उदा एवं नवला भाई थे तथा वादीगण गणेश के वारिस है तथा गणेश उदा का वारिस है तथा उदा जी जायदाद विरासत से गणेश के नाम दर्ज हुई एवं गणेश के बाद उदा से गणेश को मिली जायदाद विरासत से वादीगण को प्राप्त हुई, जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण करते आ रहे है इस तरह वादीगण उदा के साथ–साथ नवला के वारिस नहीं हो सकते है जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर अपने आपको गलत रूप से नवला का वारिस बता कर दावा पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं हैं। उदा की जायदाद नियमानुसार विरासत से गणेश को प्राप्त हुई एवं गणेश के बाद वादीगण को प्राप्त हुई, अगर वादीगण नवला के वारिस होते तो उदा की जायदाद विरासत से प्राप्त नहीं करते जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण नवला के वारिस नहीं होने से वादग्रस्त जायदाद में कोई हक व अधिकार नहीं रखते है एवं वादीगण नवला के विधिक वारिस नहीं होने की वजह से हमारे विरूद्व वादीगण के लिए कोई वाद कारण पैदा नहीं होने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त जायदाद वर्तमान में गैर कृषि भूमि होने से वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण नवला के वारिस नहीं होने से हमारे विरूद्व कोई वाद कारण पैदा नहीं होने की वजह से वाद वादीगण चलने योग्य नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं हमारे विरूद्व वाद कारण पैदा नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

13. वादीगण/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ज़ा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने वाद दिनांक [illegible].06.2017 को घोषणा व निषेधाज्ञा का

प्रस्तुत किया था व उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का भी पेश किया था तथा वाद के विचाराधीन होते हुए प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 व 18, 19 तथा 17 के वारिसान ने नुमाईशी विक्रय पत्र से दौहराने वाद दिनांक 16.12.2022 को गलत हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी संख्या 30, 31, 32 को वाद वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1530, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 को नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दी व प्रतिवादी संख्या 30 से 32 ने नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर दौहराने वाद नामान्तरकरण की कार्यवाही करवा दी। दौहराने वाद खोले गए नामान्तरण की अपील वादी ने न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर व उपजिला कलेक्टर मावली के यहां प्रकरण संख्या 09/23, 08/23, 11/23 व 10/23 अपीले प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है तथा न्यायालय उपजिला कलेक्टर मावली द्वारा दिनांक 24.01.2023 को वाद वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् स्थगन आदेश जारी किया गया था फिर भी दौहराने वाद, वाद वर्णित आराजीयात का नुमाईशी बंटवाडा करा प्रतिवादीगणो ने उक्त भूमि को नुमाईशी रूपान्तरण करवा दिया जो दोहराने वाद किया गया है ऐसी अवस्था में दोहराने वाद किये गये रूपान्तरण के आधार पर वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ नहीं है इसलिए वाद के विचाराधीन होते हुए न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए कथित वाद वर्णित भूमि का रूपान्तरण किया गया है इसलिए ऐसे भूमि रूपान्तरण के आधार पर वादी का वाद खारिज नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादी को जो भी उजर लेने है वह अपने जवाब दावे में ले सकता है यदि जवाब दावे के आधार पर कोई कानूनी तनकी बनती है तो उसको प्रारम्भिक स्टेज पर तय की जा सकती है आज केवल मात्र न्यायालय को वादी के वाद की प्लीडिंग को देखना है व वादी के वाद की प्लीडिंग से बहार जाकर किसी प्रकार के उजर के आधार पर वादी का वाद खारिज नहीं किया जा सकता हैं। वादी ने अपने वाद में प्रतिवादीगणों के विरूद्व कब वाद कारण पैदा हुआ इसके सम्बन्ध में अंकन कर रखा है इसलिए प्रतिवादीगणो को कोई भी उजर लेना है तो वह अपने जवाब दावें में ले सकता हैं। वादीगण नवला के वारिस है या नहीं इसके सम्बन्ध में तथा जवाब दावा प्रस्तुत होने के बाद साक्ष्य से तय किया जा सकता है। प्रतिवादी का उक्त बिन्दु साक्ष्य का मोहताज है ऐसी अवस्था में बिना साक्ष्य लिये वादीगण नवला के वारिस है या नहीं तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादीगणों के न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दोहराने वाद भूमि का रूपान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

करवाया है इसलिए ऐसे भूमि रूपान्तरण के आधार पर वादी का वाद खारिज नहीं किया जा सकता है वादी ने अपना वाद प्रस्तुत किया उस समय वाद वर्णित आराजीयात कृषि भूमि थी व कृषि भूमि के सम्बन्ध में घोषणा के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगणों का कथित प्रार्थनापत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावें।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 30, 31 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 30, 31 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 30, 31 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

16. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

2159, 2161, 2162 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खाता संख्या 268 पर दर्ज आराजी नम्बर 2472 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 1538, 1539 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा, खाता संख्या 645 पर दर्ज आराजी नम्बर 1527, 1530, 1533, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 648 पर दर्ज आराजी नम्बर 2157, 2158 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 246 पर दर्ज आराजी नम्बर 1526 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं खाता संख्या 245 पर दर्ज आराजी नम्बर 2140, 2141 किता 2 कुल रकबा 8 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। इसी प्रकार मौजा गाडरियावास पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 14 पर दर्ज आराजी नम्बर 889, 1001 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता संख्या 89 पर दर्ज आराजी नम्बर 1058, 1059 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग का खसरा सम्वत् 2022–23 के अनुसार प्रथा, रूपा, खेमा पिता नोला, चतरभुज पिता गोदा जाट के नाम दर्ज होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 3 में बताये गये सजरे अनुसार नवला (नोला) पिता भेरा जाट के पांच पुत्र गोदा, परथा, गणेश, रूपा व खेमा हुए। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में नवला (नोला) जाट के नाम दर्ज थी। प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद गणेश, नवला (नोला) का वारिस है अथवा नहीं ? इस बात का हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता वादीगण का कथन है कि उक्त बिन्दू को तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किया जायेगा जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रकरण में स्वयं वादीगण के दस्तावेज से उक्त बिन्दू प्रारम्भिक स्तर पर ही तय हो चुका हैं कि गणेश, नवला (नोला) का वारिस नहीं है।

न्यायालय का इस बिन्दू पर विनम्र अभिमत है कि ग्राम मावली के नामान्तरकरण संख्या 338 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में नोला पिता भेरा जाट के नाम दर्ज थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम मावली के नामान्तरकरण संख्या 338 एवं नामान्तरकरण संख्या 339 में गणेश पिता उदा अंकित हैं। इससे स्पष्ट है कि गणेश, उदा का वारिस था जबकि वादीगण गणेश को नवला (नोला) पिता भेरा का वारिस होना बता रहे हैं। साथ ही स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम मावली का नामान्तरकरण संख्या 340 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रथा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

रूपा, खेमा पिता नोला, चतरभुज पिता गोदा जाट से भगवान, हमेरा पिता गणेश जाट द्वारा भूमि क्रय की गई हैं। यदि गणेश, नोला (नवला) का वारिस होता तो गणेश के वारिस भगवान, हमेरा द्वारा प्रथा, रूपा, खेमा पिता नोला, चतरभुज पिता गोदा जाट से भूमि क्रय नहीं कर अवश्य ही वाद प्रस्तुत करते। इस प्रकार प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 338, 339 व 340 से स्पष्ट हो चुका है कि गणेश, नवला (नोला) जाट का वारिस नहीं होकर उदा का वारिस हैं। वादीगण का वाद केवल मात्र गणेश, नवला (नोला) का वारिस होने के आधार पर किया गया हैं जो कि ऊपर किये गये विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि गणेश, नवला (नोला) का वारिस नहीं होकर उदा का वारिस हैं। जब गणेश ही उदा का वारिस नही तो वादी भी उदा के वारिस नही हो सकते है क्योंकि कि वादीगण गणेश के वारिस ही है। ऐसे में प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण ही पैदा नहीं होता हैं। तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज से ही प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी वादीगण का वाद ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है, जिससे उक्त सम्पत्तियो में वादीगण का हक प्रकट होता हो। वादीगण केवल मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से प्रकरण को जारी रखकर प्रतिवादीगण की भूमि को विवादित रखना चाहते है। जिससे प्रतिवादीगण/खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सके।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का सम्परिवर्तन होकर नगरपालिका मावली द्वारा आवासीय पट्टे जारी किये जा चुके हैं। इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी/वादीगण का कथन है कि आराजी नम्बर 1530, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 को प्रतिवादी संख्या 30 से 32 द्वारा दौराने वाद क्रय कर भूमि का सम्परिवर्तन करवाया गया हैं। इसलिए इस आधार पर वादीगण का वाद बार्ड बॉय लॉ नहीं हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण यह तथ्य तो स्वीकार कर रहे है कि 1530, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 का सम्परिवर्तन हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 30 से 32 द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 30 से 32 सद्भावी क्रेता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु वादीगण द्वारा कोई वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हो ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। क्रेता द्वारा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

का संपरिवर्तन करवाया गया है। सम्परिवर्तित भूमि का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को हैं। इस कारण से भी वादीगण का वाद बार्ड बॉय लॉ पाया जाता हैं।

17. अतः उपरोक्त विवेचन, वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करने तथा वादीगण का वाद बार्ड बॉय लॉ पाये जाने से प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 30, 31 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 30, 31 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

4. श्री मोहनलाल पिता भगवान जी जाट, आयु 50 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. श्री माधवलाल पिता भगवान जी जाट, आयु 45 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. श्री हमेरा पिता गणेश जी जाट, आयु 80 वर्ष, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर। मृतक के बजाय :—

3/1 मोहनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/2 श्री बंशीलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/3 श्री रतनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/4 श्री वरदीचन्द पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/5 मांगीबाई पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर हाल निवासी उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजमसन्द।
3/6 मु. कंकुबाई पत्नी हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
2. श्री कजोड पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
3. श्री श्यामलाल पिता कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
4. मु. केसर बाई बेवा कना जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
5. श्री गोकल पिता मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
6. श्री प्रेम प्रकाश पिता मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
7. श्रीमती कमला बाई (पिता मोतीजी) पत्नी माधवलाल जी जाट, निवासी नाहरगमरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
8. श्रीमती रेखा बाई (पिता मोतीजी) पत्नी पवन जी जाट, निवासी नाहरगमरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. श्रीमती जीव बाई बेवा मोती जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
10. श्री छोगालाल पिता काना जी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर
11. श्री हीरालाल पिता काना जी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

12. श्रीमती बदामी बाई (पिता कानाजी) पत्नी भेरूलाल जी जाट, निवासी नाहरमगरा तहसील मावली, जिला उदयपुर
13. श्रीमती तुलसी बाई (पिता कानाजी) पत्नी गोकल जी जाट, निवासी खेडा भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर
14. श्रीमती वरदी बाई (पिता कानाजी) पत्नी लक्ष्मणजी जाट, निवासी खेडा भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर
15. श्रीमती उदी बाई बेवा कानाजी जाट, निवासी मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर
16. श्री नारायण पिता रूपा जी जाट, निवासी मावली, हाल सिन्धीयों की वासनी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

16/1 मु. गटुबाई पत्नी नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/2 श्री भागचन्द पिता नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/3 श्री लक्ष्मण पिता नारायण जाट निवासी मावली देवलाई तहसील मावली।

16/4 श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता नारायण पत्नी नारायण जाट निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।

17. श्री मांगीलाल पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
18. श्री परसराम पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
19. श्री चुन्नीलाल पिता खेमा जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली।
20. श्रीमती मगनी बाई (पिता खेमा जी) पत्नी रामलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

20/1 श्री शंकरलाल पिता रामलाल जाट निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा।

20/2 श्रीमती मोहनीबाई पिता रामलाल पत्नी शंकरलाल जाट निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा।

20/3 श्रीमती देऊबाई पिता रामलाल पत्नी गोवर्धनलाल जाट निवासी जीवा का खेडा तहसील रेलमगरा।

20/4 श्री रामलाल पिता किशना जाट निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा।

21. श्रीमती हंसु बाई (पिता खेमा जी) पत्नी जमनालाल जी जाट, निवासी सालेराखुर्द, तह. मावली
22. श्रीमती लक्ष्मी बाई (पिता खेमा जी) पत्नी केसुलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
23. श्री नाथु पिता चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
24. श्री भमरू पिता चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
25. मु. धापू बाई बेवा चतरभुज जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली
26. श्री मीठालाल पिता वरदीचन्द जी महाजन, गणोलिया निवासी मावली, तहसील मावली
27. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्यामलाल जी गुर्जर, निवासी मावली, तहसील मावली
28. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी नारायणजी [illegible] मावली, तहसील मावली
29. राजस्थान राज्य जरिये [illegible] मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested

30. श्री विजय कुमार पिता चत्तरलाल बडाला निवासी 75 अरिहन्त नगर कालका माता मार्ग पहाडा, उदयपुर।
31. श्री रणजीत कुमार पिता चत्तरलाल बडाला निवासी 76 अरिहन्त नगर कालका माता मार्ग पहाडा, उदयपुर।
32. श्री पुष्करलाल पिता वेणीराम कुमावत निवासी शिव कॉलोनी रेबारियो का गुडा उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 161/17 (वाद) GCMS No. : 2017/00569

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 30, 31 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:52 IST
Reason: SelfAttested